राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

कमांकः एफ–27(22)ग्रावि/ग्रुप–5/ई.आ./लेखा/2015–16 जयपुर दिनांक : 27 अप्रैल, 2015

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) राजस्थान ।

विषय : विभागीय आदेश सं. 6/2014 (परिपत्र) दिनांक 30.03.15 व वर्ष 2015–16 से आवासों की किश्त हस्तान्तरण प्रकिया के कम में ।

प्रसंग : विभागीय पत्र कमांकः एफ–27( )ग्रा.वि./ग्रुप–5/अन्य/2015 दिनांक 09.04.15, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के साथ जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की वी.सी. एवं जिला आवास प्रभारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 20.04.15 में प्राप्त सुझाव के कम में ।

विभागीय आदेश सं. 6/2014 (परिपत्र) से आवास योजनाओं के लाभार्थियों को देय अनुदान राशि की स्वीकृति व हस्तान्तरण कार्य में परिवर्तन कर तुरन्त प्रभाव से समस्त राशि स्वीकृति व किश्त हस्तान्तरण कार्य जिला परिषद के स्थान पर पंचायत समिति द्वारा किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है ।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अवगत कराया है कि योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 से समस्त भुगतान पी.एफ.एम.एस. प्रणाली के माध्यम से राज्य स्तरीय केन्द्रीय खाते से पंचायत समिति के अधिकारी/कार्मिकों के डिजिटल हस्ताक्षरों से लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित किये जावेंगे । विभागीय आदेश सं.–6/2014 की पालना में वर्ष 2015–16 से आवासीय योजना के लाभार्थियों को आवास की किश्त हस्तान्तरण प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

- **<u>वित्तीय वर्ष 2015–16 से पूर्व वर्षों में सभी आवासीय योजनाओं के स्वीकृत आवासों की किश्त हस्तान्तरण व्यवस्था :–</u>**

1. लाभार्थियों को किश्त हस्तान्तरण हेतु विभागीय आदेश सं. 6/2014 (परिपत्र) दिनांक 30.03.15 के अनुसार ग्राम सेवक, पदेन सचिव, ग्राम पंचायत निर्धारित प्रपत्रों में उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करेंगे ।
2. ग्राम सेवक, पदेन सचिव, ग्राम पंचायत निर्धारित प्रपत्र में द्वितीय/तृतीय किश्त हेतु आवदेन पंचायत समिति को प्रस्तुत करेंगे, जिसे पंचायत समिति आवास सोफ्ट में ऑन लाईन कर Payment Order Sheet Generate करेंगी, उक्त सम्बन्ध में समस्त दस्तावेज/रिकॉर्ड पंचायत समिति स्तर पर संधारित किये जावेंगे ।
3. पंचायत समिति सभी Order Sheets को जिला परिषद को ई–मेल द्वारा प्रस्तुत करेंगी।
4. जिला परिषद, ई–मेल द्वारा पंचायत समिति से प्राप्त हस्ताक्षरित स्केन्ड प्रति के आधार पर पूर्व निर्धारित प्रकिया के अनुसार अधिकतम 5 कार्य दिवस में सम्बन्धित लाभार्थी के खाते में राशि हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करेंगी ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् यह सुनिश्चित करेंगे कि आवास प्रभारी आवास सॉफ्ट पर एफ.टी.ओ. जनरेट कर पत्रावली पर अधिकतम 2 कार्य दिवस में लेखा शाखा को, एवं परियोजना अधिकारी (लेखा) जिला परिषद अधिकतम 3 कार्य दिवस में लाभार्थी के खाते में राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करें ।

5. किश्त हस्तान्तरण (राशि हस्तान्तरण) आदेश की प्रति सम्बन्धित पंचायत समिति व सम्बन्धित ग्राम सेवक के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थियों को आवश्यक रूप से भिजवाया जाकर आवास अधिकार कार्ड में प्रविष्टि 7 दिवस में कराना भी सुनिश्चित किया जावें।
6. किश्त हस्तान्तरण से सम्बन्धित आदेशों को प्रेषित करने की डाक पंजिका पृथक से संधारित की जावें, साथ ही लाभार्थी/परिचित के मोबाईल पर सम्बन्धित बैंक के माध्यम से एस.एम.एस. द्वारा किश्त हस्तान्तरण की व्यवस्था को लागू कराया जावें ।
7. आवासीय योजनाओं से सम्बन्धित लक्ष्य आवंटन, भारत सरकार से किश्त आवंटन के प्रस्ताव तैयार करना एवं सी.ए. ऑडिट आदि की व्यवस्था जिला परिषद स्तर पर पूर्ववत सम्पादित की जावेंगी ।

- **<u>वित्तीय वर्ष 2015–16 में सभी आवासीय योजनाओं (आई.ए.वाई. एवं अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना) के स्वीकृत आवासों की किश्त हस्तान्तरण व्यवस्था :–</u>**

1. आवास सॉफ्ट पर वर्ष 2015–16 हेतु प्रचलित रजिस्ट्रेशन प्रकिया यथावत् प्रभावी रहेगी। परन्तु लाभार्थी का महात्मा गांधी नरेगा जोब कार्ड नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं सी.बी.एस. आधारित बैंक खाता नम्बर (ऑन लाईन बैंक खाता नम्बर) अनिवार्य रूप से दर्ज किया जावें।
2. विभागीय आदेश सं. 6/2014 (परिपत्र) दिनांक 30.03.15 एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार विभाग/जिले से प्राप्त लक्ष्यों के कम में निर्धारित वरीयता के कम में प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियां, पंचायत समिति स्तर से एवं पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम सेवक ग्राम पंचायत स्तर से जारी की जावें।
3. योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 से समस्त भुगतान पी.एफ.एम.एस. प्रणाली के माध्यम से राज्य स्तरीय केन्द्रीय खाते से पंचायत समिति के अधिकारी/कार्मिकों के डिजिटल हस्ताक्षरों से लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित किये जावेंगे ।
4. महात्मा गांधी नरेगा योजना में वित्तीय संचालन हेतु अधिकृत अधिकारी व कार्मिक जिनके डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पूर्व में जारी हैं, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से वित्तीय संचालन हेतु अधिकृत होंगे ।

27/4/15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर ।
3. निंजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, राजस्थान, जयपुर ।
6. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने बाबत्।
8. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजस्थान, जयपुर ।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा.वि.)